आज़ादी का
अमृत महोत्सव

साप्ताहिक सूचना पत्र

(दिनांक 16.01.2023 से 22.01.2023)

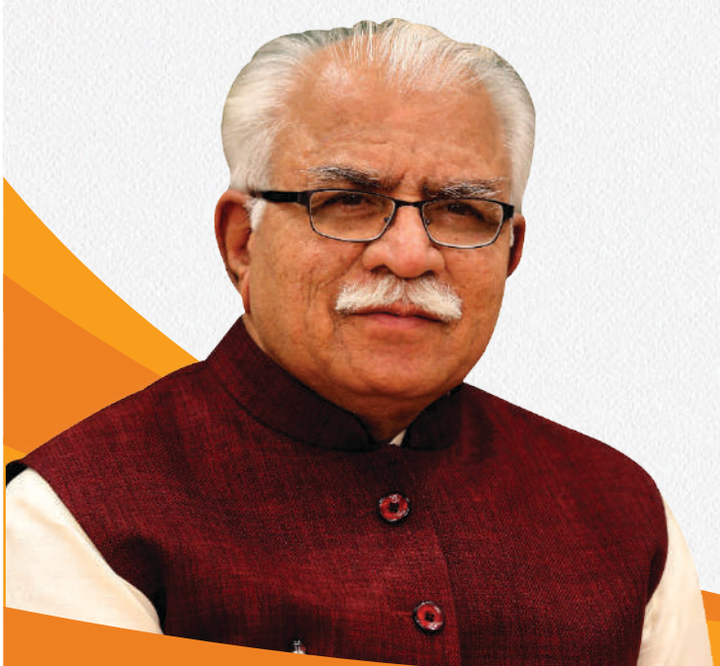

भारतीय जनता पार्टी
हरियाणा

साप्ताहिक सूचना पत्र

पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों का विस्तार

(दिनांक 16.01.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायतो को ताकत देने और उनके विकेंद्रीकरण की पहल के तहत वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही के लिए गांवों में विकास कार्यों के लिए पंचायती राज संस्थाओं को 1100 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है इसमें से 850 करोड़ केवल पंचायतों को दिया गया है।

मुख्यमंत्री जी की पहल पर पिछले कार्यकाल के दौरान हरियाणा के लोगों को पहली बार पढ़ी–लिखी पंचायतें मिली थी। अब नवनिर्वाचित इन सभी शिक्षित पंचायतों को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम व पंचायतों की कार्य प्रणाली से पूर्णतः शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं क्षेत्र भ्रमण के कार्यक्रम तय किए गए है।

हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी राजीव गांधी राज्य पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास संस्थान नीलोखेड़ी तथा क्षेत्रीय पंचायती राज

एवं सामुदायिक विकास संस्थानए भिवानी में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन होना है। मुख्यमंत्री जी ने 31 मार्च 2023 तक 850 करोड़ रुपये से अधिक का बजट जारी कर पंचायतों को खुले मन से विकास करवाने का मार्ग प्रशस्त किया है।

इसके अतिरिक्त सर्वसम्मति से पंचायतों में चुने गए प्रतिनिधियों के लिए मुख्यमंत्री जी ने अलग से 300 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है। इस

साप्ताहिक सूचना पत्र

बार 70 हजार जनप्रतिनिधियों में से 40 हजार जनप्रतिनिधि सर्वसम्मति से चुने गए हैं जो प्रदेश की सामाजिक सौहार्द व आपसी भाईचारे का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री जी की पहल पर पंचायतों को विकास कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है। इसके साथ–साथ इन कार्यों की तकनीकी स्वीकृति के लिए जूनियर इंजीनियर से लेकर चीफ–इंजीनियर तक जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश सरकार ने सरपंच, पंचायत समिति व जिला परिषद के चेयरमैन को अपने फंड व ग्रांट इन ऐड से छोटे या बड़े चाहे जितनी भी राशि के काम हों, करवाने का अधिकार दिया है।

- 2 लाख रुपये तक के विकास कार्यों की तकनीकी स्वीकृति, जेई
- 2 लाख से 25 लाख रुपये तक के कार्यों की तकनीकी स्वीकृति, एसडीओ
- 25 लाख से 1 करोड़ रुपये तक के कार्यों की तकनीकी स्वीकृति, एक्सईएन
- एक करोड़ से 2.5 करोड़ रुपये तक के

कार्यों की तकनीकी स्वीकृति, अधीक्षण अभियंता

- 2.5 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य की तकनीकी स्वीकृति, चीफ इंजीनियर
- 2.5 से 10 करोड़ रुपये तक के कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति, विकास एवं पंचायत मंत्री
- दस करोड़ रुपये से अधिक के कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति, मुख्यमंत्री

माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि आज आईटी के युग में हर व्यवस्था ऑनलाईन हो रही है। कार्यों में तेजी लाने के लिए ई–टेंडर प्रणाली को अपनाया गया है। इससे पंचायतों के कार्यों में पारदर्शिता व गुणवत्ता तथा तेजी आएगी।

साप्ताहिक सूचना पत्र

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक

(दिनांक 17.01.2023)

प्रभाव : दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बैठक के दौरान पिछले 8 वर्षों में हरियाणा में किए गए व्यवस्थाओ परिवर्तन के कार्यों व जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बैठक में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वर्ष–2023 के दौरान भारत में जी–20 के बैठकों के आयोजन के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। यह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि जी–20 की अध्यक्षता भारत को मिली है। इस वर्ष में अलग–अलग राज्यों में लगभग 200 बैठकें आयोजित की जाएंगी। इसी कड़ी में गुरुग्राम में भी जी–20 की कुछ बैठकों का आयोजन किया जाएगा, इसके लिए प्रदेश सरकार ने तैयारी कर ली है।

इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि माननीय प्रधानमन्त्री जी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास की और बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य विकास को हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

नववर्ष में संस्कृत प्रेमियों को तोहफा

(दिनांक 18.01.2023)

प्रभाव : मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के संस्कृत प्रेमियों के लिए नववर्ष में दूसरी बड़ी सौगात दी है। संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति राशि जारी होने के बाद अब सरकार द्वारा संस्कृत विद्वानों और साहित्यकारों के लिए बढाई गई सम्मान राशि पर वित्त विभाग ने भी स्वीकृति की मोहर लगा दी है।

ऐसे में इस बार से पुरस्कार के लिए आवेदन करने वालों को यह लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा सम्मान की नियमावली में भी फेरबदल किया गया है।

सर्वोच्च सम्मान संस्कृत साहित्यालंकार और हरियाणा गौरव के लिए अब आयु सीमा का बंधन हटा दिया गया है। छात्रवृतिए अनुदान और वित्तीय सहायता योजना की राशि में भी कई गुना बढ़ोतरी की गई है। इसके तहत सम्मान राशि में दो गुना से लेकर साढ़े 3 गुना की बढ़ोतरी की गई ।

हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक डॉण्दिनेश शास्त्री ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर के सम्मान 'संस्कृत साहित्यालंकार सम्मान' में पहले 2 लाख रुपये की राशि मिलती थी, इसे अब सीधा साढ़े तीन गुना 7 लाख मिलेंगे।

इसी तरह 'हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान' की पुरस्कार राशि दो लाख से सीधे ढाई गुना 5 लाख हो गई है। इसी तरह महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास सम्मान की राशि डेढ़ लाख से ढाई गुना बढ़ाकर तीन लाख कर दी गई है।

महर्षि विश्वामित्र सम्मान में डेढ़ लाख की जगह ढाई लाख, आचार्य स्थाणुदत्त सम्मान में अब डेढ़ लाख की जगह दो लाख रुपऐ मिलेंगे।

इसी क्रम में महाकवि बाणभट्ट सम्मान में एक लाख से बढ़कर ढाई लाख रुपऐ मिलेंगे। साहित्यकार सम्मान राशि

पहले 11 लाख थी जो अब बढ़कर 25 लाख हो गई है।

आचार्य सम्मान में भी पुरस्कार राशि 4लाख से 8 लाख कर दी गई है। इसके तहत अब गुरु विरजानंद आचार्य सम्मान, विद्यामार्तण्ड पंण्सीताराम शास्त्री आचार्य सम्मानए पंण्युधिष्ठिर मीमांसक आचार्य सम्मान में अब एक लाख से बढ़ाकर दो लाख रुपऐ प्रदान किए जाएंगे। स्वामी धर्मदेव संस्कृत समाराधक सम्मान को भी एक लाख से दो लाख रुपए कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री महोदय ने संस्कृत की नवलेखन प्रतिभाओं के लिए पुस्तक पुरस्कार राशि को भी 31हजार से बढ़ाकर 51हजार कर दिया है। इससे साहित्य लेखन में प्रतिभाएं और उत्साहपूर्वक कार्य करेंगी।

पांडुलिपि प्रकाशनार्थ सहायतानुदान में मानदेय राशि 10 हजार से बढ़ाकर 21हजार कर दी गई है। लघु संस्कृत कथा लेखन, नाटक लेखन प्रतियोगिता में प्रथम को अब 10 हजारए द्वितीय को 8 हजार तथा तृतीय को 5 हजार का पुरस्कार मिलेगा।

डॉण्दिनेश शास्त्री ने बताया कि संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को भी सरकार ने विशेष तोहफा दिया है। इसके तहत प्रथमाए पूर्व मध्यमाए उत्तर मध्यमाए विशारदए प्राक् शास्त्री और शास्त्री कक्षा में अध्ययन करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति राशि अब तीन हजार की जगह 8 हजार मिलेगी।

इसी तरह आचार्य कक्षाओं के छात्रों को 10 हजार रुपए मिला करेंगे।

इसके साथ ही अब अभावग्रस्त संस्कृत लेखकों को चिकित्सा खर्च में एक वर्ष में तीन हजार की जगह 50 हजार की सहायता मिल सकेगी।

इसी तरह लेखक को वित्त वर्ष में मिलने वाली वित्तीय अनुदान राशि को भी बढ़ाकर 6 हजार से सीधे 21हजार कर दिया गया है।

माननीय मुख्यमंत्री जी की इस पहल से न केवल संस्कृत बल्कि हमारी सनातन संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा।

साप्ताहिक सूचना पत्र

सीएम विंडों की समीक्षा बैठक

(दिनांक 19.01.2023)

प्रभाव : सीएम विंडों पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का निपटान समय–सीमा में पूरा करें ताकि लोगों को शीघ्र समाधान मिले।

इसके साथ ही प्रत्येक 3 माह में मुख्यमंत्री जी स्वयं सीएम विंडों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने सीएम विंडों बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सीएम विंडों की शिकायतों की पूर्ण जानकारी हेतु विभागीय अधिकारियों के लिए एक मोबाइल एप बनाया जाएगा, जिसमें संबंधित अधिकारी को शिकायतों के बारे जानकारी मिलेगी।

उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग की शिकायतों का ब्यौरा अलग रखा जाए तथा उनको समय सीमा में निपटाया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लोगों की शिकायतों का निपटान करने के लिए विभिन्न विभागों को चाहिए कि वे अपने स्तर पर भी कोई अलग प्रणाली विकसित करें। इसके साथ ही उन्हें गत

साप्ताहिक सूचना पत्र

तीन माह के दौरान प्राप्त होने वाली शिकायतों का निवारण की जानकारी भी नियमित तौर पर उपलब्ध करवाई जाए।

उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में शिकायतों को संबंधित वरिष्ठ अधिकारी प्राथमिकता आधार पर निपटान करें तथा जिस किसी अधिकारी के खिलाफ शिकायत प्राप्त होती है तो उससे वरिष्ठ अधिकारी ही मामले की जांच करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम विंडों की शिकायतों के समाधान के लिए विभाग स्तर पर अतिरिक्त निदेशक या क्लास–ए अधिकारी को नोडल ऑफिसर बनाया जाए।

इस संबंध में विभाग प्रमुख 15 दिनों में, प्रशासनिक सचिव एक माह, मुख्य सचिव दो माह तथा स्वयं मुख्यमंत्री तीन माह में शिकायतों के निवारण की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही जिला स्तर पर पंचायत विभाग की शिकायतों को सीईओ और शहरी स्थानीय निकाय विभाग की शिकायतों को डीएमसी निवारण करें।

सीएम विंडों पर अब तक कुल 1058888 शिकायतें प्राप्त हुई हैंए जिनमें से 923880 शिकायतों का निपटान किया जा चुका है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक

(दिनांक 19.01.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 54वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 तक हरियाणा को बाढ़ मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है।

इसके लिए जिन इलाकों में जलभराव की अधिक समस्या है, उसके स्थायी समाधान के लिए इस वर्ष विशेष प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। इसके अलावा, जल संरक्षण और बरसात के पानी का दोबारा उपयोग करने के लिए भी अधिक से अधिक जोर दिया जा रहा है। इससे बाढ़ की स्थिति से निपटने के साथ–साथ ग्राउंड वाटर रिजार्जिंग व सूखे क्षेत्रों में पानी का सदुपयोग किया जा सकेगा। इसके लिए सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक में 528 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके तहत लगभग 1100 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी।

जलभराव क्षेत्रों के स्थायी समाधान के

साप्ताहिक सूचना पत्र

लिए क्लस्टर आधारित योजनाएं तैयार करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिए।

खेतों में खड़े पानी की निकासी और पानी के दोबारा इस्तेमाल के लिए 312 करोड़ रुपये से ज्यादा की योजनाएं अनुमोदित की गई हैं। इस बार जलभराव की निकासी के लिए क्लस्टर एप्रोच के माध्यम से योजनाएं तैयार की गई हैं। भिवानी जिले को एक क्लस्टर माना गया है, जिसके तहत 8 गांवों कुंगड़, जटाई, धनाना, बढेसरा, सिवाड़ा, प्रेमनगर, घुसकानी, ढाणी सुखन के आबादी एरिया व जलभराव वाले इलाकों में एचडीपीई पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इस पर लगभग 16 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि खर्च होगी।

इससे लगभग 2 हजार एकड़ जलभराव वाली भूमि से पानी की निकासी होगी। इसके अलावा 3 गांवों सिंघवा खास, पुठ्ठी, मदनहेड़ी को मिलकार एक योजना बनाई गई है, जिस पर 9.31 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। इससे लगभग 1500 एकड़ जलभराव वाली भूमि से पानी की निकासी होगी।

साप्ताहिक सूचना पत्र

इसी प्रकार, लगभग 4 करोड़ रुपये की लागत की एक ओर योजना बनाई गई हैए जिसके क्रियान्वित होने से 885 एकड़ जलभराव वाली भूमि से पानी की निकासी होगी।

इसी प्रकार, जिला हिसार को क्लस्टर मानकर 3 गांवों भाटोल जाटान, रांगड़ान और खरकड़ा के खेतों से पानी की निकासी के लिए 3.20 करोड़ रुपये की योजना अनुमोदित की गई है। इससे लगभग 750 एकड़ जलभराव वाली भूमि का सुधार होगा। इसके अलावा खरबला गांव के लिए भी 2.50 करोड़ रुपये की योजना को भी अनुमोदित किया गया है। जिला रोहतक के लिए भी अलग से योजनाओं को मंजूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां बहुत ज्यादा जलभराव होता है, ऐसी भूमि पर झीलें बनाई जाएं। विशेषकर एनसीआर जिलों में लगभग 100 झीलें बनाने की एक योजना तैयार की जाए। इन झीलों के बनने से जलभराव की समस्या का भी स्थायी सामाधान होगा और भू–जल रिचार्जिंग

साप्ताहिक सूचना पत्र

की क्षमता भी बढ़ेगी। इन झीलों को बनाने के लिए किसानों से उनकी जलभराव वाली भूमि के प्रस्ताव मांगे जाएंगे।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जल की उपलब्धता आज के समय में एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए जल संरक्षण ही एक मात्र समाधान है। इसी दिशा में भू. जल रिचार्जिंग के लिए सरकार द्वारा जिलों में रिचार्जिंग बोरवेल लगाए जा रहे हैं। एक कदम ओर आगे बढ़ते हुए सरकार ने एक नई योजना बनाई है, जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर रिचार्जिंग बोरवेल लगा सकता है। इसके लिए किसानों से आवेदन मांगे गए थे। अब तक 20 हजार किसानों के आवेदन आ चुके हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 54वीं बैठक में विभिन्न श्रेणियों के तहत योजनाएं बनाई गई हैं। इसमें जल संरक्षण और पानी के पुनः उपयोग के लिए 97 योजनाओं पर करीब 179 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। इसके साथ–साथ आबादी प्रोटेक्शन श्रेणी की 67 योजनाओं पर 71.41 करोड़ रुपये, प्रोटेक्शन आफ एग्रीकल्चर लैंड श्रेणी में 125 योजनाओं पर 132.86 करोड़ रुपयेए डीवॉटरिंग मशिनरी श्रेणी में 49 योजनाओं पर 77.90 करोड़ रुपये, रिक्लेमेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड श्रेणी की 68 योजनाओं पर 119.50 करोड़ रुपये तथा रिकंस्ट्रक्शन, ड्रेनों में पानी के समुचित बहाव के लिए मरम्मत व नए स्ट्रक्चर बनाने के लिए 59 योजनाओं पर 110 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि मंजूर की गई है। इसी प्रकार हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण तथा अटल भूजल योजना के तहत 63 योजनाओं पर 167 करोड़ रुपये की राशि मंजूरी की गई है।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आमतौर पर 10 जिलों नामतः रोहतक, झज्जर, भिवानी, हिसार, जींद, फतेहाबाद, सोनीपत, कैथल, पलवल और सिरसा में जलभराव की समस्या देखने को मिलती है। इसलिए इन 10 जिलों में विशेष फोकस देते हुए आज की बैठक में इन जिलों के लिए विशेष योजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

साप्ताहिक सूचना पत्र

चिरायु योजना समीक्षा बैठक

(दिनांक 19.01.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज यहां चिरायु योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत चिरायु योजना के कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाएं ताकि जल्द से जल्द सभी परिवारों के कार्ड बनाए जा सके। इसके अलावा जिला स्तर पर सभी विभागों को जोड़कर इस कार्य की रेगूलर मोनिटरिंग करें।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य में लगभग एक करोड़ 17 लाख परिवारों को चिरायु योजना का लाभ देने के लिए स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाने हैं।

इनमें महेन्द्रगढ, चरखी दादरी, भिवानी व हिसार जिले में चिरायु कार्ड बनाने का अच्छा कार्य किया है। उन्होंने कार्ड बनाने की धीमी प्रक्रिया वाले मेवात, फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, कैथल के जिला उपायुक्तों से विस्तार से बातचीत की और इस कार्य को सभी विभागो के सहयोग से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि जब तक कार्ड बनाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक नागरिकों को जागरूक करने के लिए उनके मोबाईल पर बार–बार एसएमएस भेजें। इसके अलावा वाईस कॉल के माध्यम से भी सूचित करें। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चिरायु योजना का लाभ अधिक परिवारों को देने के लिए सरकार ने बीपीएल की वार्षिक आय सीमा को 1.80 लाख रुपये कर आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाया है, जिसकी पूरे देश भर में चर्चा हो रही।

मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारीयों को निर्देश दिए की चिरायु योजना के लिए पात्र परिवार में से एक भी परिवार छूटना नहीं चाहिए। हर एक व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचना चाहिए।

साप्ताहिक सूचना पत्र

जिला उपायुक्तों के साथ बैठक

(दिनांक 19.01.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहां हरियाणा निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला उपायुक्तों के साथ बैठक करते हुऐ सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि जिन पूर्व सरपंचों ने अब तक पंचायत का रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया है, उनसे तुरंत रिकॉर्ड लेकर नवनिर्वाचित सरपंचों को सौंपने का कार्य करें, ताकि गांवों के विकास कार्यों में कोई बाधा न आए।

मुख्यमंत्री जी ने उपायुक्तों व अतिरिक्त उपायुक्तों के अलावा प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के साथ ग्राम संरक्षक योजना के तहत सौंपी गई शिवधाम नवीनीकरण योजनाए पार्क एवं व्यायमशालाए आंगनबाड़ी केन्द्रों की निगरानी की समीक्षा भी की।

पंचायतों के जनप्रतिनिधियों, चाहे वह पंच हो या सरपंच हो, ब्लॉक समिति या जिला परिषद का सदस्य हो, से स्पष्ट किया कि ग्रामीण विकास विभाग व पंचायती राज दोनों अलग–अलग हैं। गांव के विकास कार्यों में पारदर्शिता के लिए सरकार द्वारा जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी, जिससे प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, टेंडर, वर्क आर्डर व अदायगी संबंधी सभी बारीकियों की जानकारी मिलेगी।

पहले चरण में प्रदेशभर में 1000 पार्क एवं व्यायामशालाएं बनाई जा रही हैं। अधिकतर गांवों में पार्क एवं व्यायामशालाएं बनाने का कार्य पूरा हो चुका है। जिन गांवों में अभी नहीं बनी हैं, उस बारे जिला उपायुक्त सरकार को शीघ्र–अतिशीघ्र रिपोर्ट भेजें, ताकि वहां पर पार्क एवं व्यायामशालाएं खोली जाएं।

अभी हाल ही में, इनके लिए 600 से अधिक योग सहायक लगाए गए हैं। उपायुक्तों को निर्देश दिए कि शिवधाम नवीनीकरण योजना के तहत करवाये जाने वाले कार्यों को तत्काल पूरा करवाएं।

साप्ताहिक सूचना पत्र

अनुसूचित जाति आयोग का गठन

(दिनांक 21.01.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मान समारोह में अनुसूचित जाति आयोग गठन पर बोलते हुए कहा कि हरियाणा में अनुसूचित जाति आयोग का गठन अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखने और उन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए किया गया है। इसमें हरियाणा की सभी एससी जाति वर्गो से सदस्य बनाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि आयोग का काम समाज हित में सरकारी व्यवस्थाओं का उपयोग और समाज की आवश्यकताओं के हिसाब से नई व्यवस्थाओं का निर्माण करना है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार ने संत महापुरूष विचार प्रचार एवं प्रसार सम्मान योजना के तहत महापुरूषों की जंयतियां मनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत महर्षि बाल्मिकीए डाण् बी आर अम्बेडकर, संत कबीर, श्री गुरु नानक देव जीए बाबा बंदा सिंह बहादुर, श्री गुरू तेग बहादुर जी, महर्षि कश्यप, सूरसैन आदि महापुरूषों की जयंतियां मनाकर उनके विचारों को जन–जन तक पहुंचाने का कार्य किया है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

हाई पॉवर परचेज कमेटी की बैठक

(दिनांक 21.01.2023)

प्रभाव : मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी) की बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली कुल 92 करोड़ रुपये से अधिक की वस्तुओं की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई।

बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री जी ने बताया कि बैठक में सिंचाई, पुलिस, परिवहन, हारट्रॉन, हरियाणा पॉवर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कुल 8 एजेंडा रखे गए थे, जिसमें से 5 एजेंडे को मंजूरी दी गई।

उन्होंने बताया कि आज विभिन्न कंपनियों से नेगोशिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 3 करोड़ रुपये को बचत की गई है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि थर्मल पॉवर प्लांट में प्रदूषण को कम करने के लिए डी. नॉक्स कंब्यूशन मोडिफिकेशन सिस्टम लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा हरियाणा में विभिन्न विभागों, बोर्डों व निगमों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी आज मंजूरी प्रदान की गई है।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकारी परियोजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता हेतू ई–भूमि पोर्टल बनाया है, जो बेहद कारगर साबित हो रहा है।

इस पोर्टल पर सरकार की ओर से परियोजनाओं के लिए जमीन की आवश्यकता की जानकारी भरी जाती है और किसान तथा एग्रीगेटर्स अपनी जमीन का ऑफर देते हैं। भू–मालिकों से बातचीत कर उनकी सहमति से हम जमीन खरीद रहे हैं।

अब तक लगभग 1000 एकड़ भूमि की खरीद इस पोर्टल के माध्यम से की गई है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रखे गए कर्मचारियों से सीधा संवाद करना

(दिनांक 21.01.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने HKRN के माध्यम से लगे हुए लोगो से सीधे संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अस्थाई नौकरियां देने के लिए चल रही ठेकेदारी प्रथा को खत्म कर ऐसे कर्मचारियों को शोषण से बचाने के लिए ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया गया है। अब कच्चे कर्मचारियों को समय पर वेतन सहित ईपीएफ और ईएसआई का लाभ मिल रहा है। आज यहां हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रखे गए कर्मचारियों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद करते हुए मुख्यमंत्री जी ने सभी कर्मचारियों से सच्चाई व ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का आह्वान किया। इस दौरान कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें मैरिट के आधार जॉब ऑफर प्राप्त

हुए हैं, इसके लिए प्रदेश सरकार का धन्यवाद। उन्हें नौकरी के लिए किसी बिचौलिये के पास नहीं जाना पड़ा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार को काफी समय से अस्थाई कर्मचारियों की ओर से शिकायतें प्राप्त होती थी कि उन्हें समय पर वेतन नहीं मिलता न ही ईपीएफ व ईएसआई का लाभ मिलता है। उन्होंने कहा कि धीर–धीरे ठेका प्रथा ठग प्रथा बन गई, इसलिए इन सारी शिकायतों के समाधान के लिए सरकार ने एचकेआरएन बनाया। विभागों की ओर से मैनपावर की मांग आने पर इस निगम के माध्यम से मैरिट के आधार पर नौकरियां दी हैं। इस दौरान हमने जरूरतमंदों को पहले रोजगार अवसर मुहैया करवाने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीने में एचकेआरएन के माध्यम से 3297 कर्मचारी लगाए गए हैं। इनमें मुख्य रूप से टीजीटी, पीजीटी, ड्राइवर, आयुष योग सहायक और लाईनमैन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पहले डीसी रेट पर अस्थाई कर्मचारी रखे जाते थे। विभिन्न जिलों में अलग–अलग डिसी रेट के कारण कुछ दिक्कते आती थी। अब एचकेआरएन में मासिक पे को भी रेगुलराईज किया गया है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

नॉन परफॉर्मर और भ्रष्ट 48 अधिकारियों / कर्मचारियों को नौकरी से बाहर

(दिनांक 22.01.2023)

प्रभाव : हरियाणा सरकार प्रदेश में पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सरकार द्वारा भ्रष्टाचार में संलिप्त कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कड़े फैसले लिए गए हैं। इसी कड़ी में सरकार ने 48 नॉन परफॉर्मर और भ्रष्ट कर्मचारियों पर सख्त एक्शन लिया है।

केंद्र सरकार के पदचिन्हों पर चलते हुए हरियाणा सरकार ने पिछले 8 वर्षों में 50 से 55 साल की उम्र के 48 अधिकारियों/कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया है।

इनमें असिस्टेंट प्रोफेसर, सब इंस्पेक्टर, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर, नायब तहसीलदार, डीआरओ, सुपरवाइजर, मैनेजर, रेजिडेंट ऑडिट ऑफिसर, जूनियर ऑडिटर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी इंजीनियर, क्लर्क, असिस्टेंट, हवलदार, पियुन, गोडाउन कीपर आदि पदों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल है। ये कर्मचारी हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागोंए बोर्ड और निगमों के कार्यालय में कार्यरत थे।

इन अधिकारियों/ कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार में शामिल होने, ड्यूटी से अनुपस्थित रहने, नॉन–परफॉर्मेंस, लापरवाही बरतने और जाली सर्टिफिकेट बनाने आदि कारणों के चलते कार्रवाई की गई है। सर्विस रिकॉर्ड रिव्यू करने के बाद ईमानदारी से काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया जाता है तो वहीं नॉन परफॉर्मर कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाती है।

प्रदेश सरकार मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के मूल सिद्धांत पर आगे बढ़ रही है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

गणतंत्र दिवस समारोह के लिए 'अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव' थीम

(दिनांक 22.01.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा देश के हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। इसी के चलते लगातार दूसरे साल भी गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर हरियाणा की झांकी के माध्यम से पूरी दुनिया श्री मद्भगवद्गीता के शाश्वत संदेश से रू–ब–रू होगी।

इस वर्ष कर्तव्य पथ पर प्रदर्शन के लिए लगातार दूसरी बार हरियाणा की झांकी का चयन रक्षा मंत्रालय की विषेशज्ञ कमेटी द्वारा किया गया है जिसका थीम है 'अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव' इस झांकी के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण के विराट स्वरूप के भी दर्शन होंगे।

उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र को दुनिया के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक के रूप में जाना जाता है। यहाँ पवित्र नदी सरस्वती के तट पर वेदों और

पुराणों की रचना हुई। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जी जब वर्ष 2014 में कुरुक्षेत्र आए थे तो उन्होंने कहा था कि कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में पहचान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किये जायेंगे।

उनकी इसी सोच को मूर्त रूप देते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की अगुआई में गीता स्थली को न केवल अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई जा रही है अपितु देश के साथ–साथ विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन इसी कड़ी के तहत किया गया है।